



2026:AHC:38877

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2512/2026

प्रेम नारायण सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: राम मूर्ति यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम मूर्ति यादव और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अमित मनोहर सहाय को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि श्रीमती, रिट याचिकाकर्ता की मां हरिवंश सिंह की पत्नी फूलमती सिंह को 18.06.1983 को एएनएम के रूप में नियुक्त किया गया था और 12.06.2010 को उनकी मृत्यु हो गई. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता रिट याचिकाकर्ता की मां को प्रथम एसीपी, द्वितीय एसीपी और तृतीय एसीपी के रूप में स्वीकार्य लाभों का हकदार है, 19 वर्ष, 24 वर्ष और 26 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद उत्पन्न वेतन का बकाया तथा अन्य लाभ.
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता का दावा है कि रिट याचिकाकर्ता को प्रथम दृष्टया जौनपुर, जिला-जौनपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्णय की आवश्यकता है।
4. न्यायालय में प्रस्तुत किए गए सुझावों पर विचार करते हुए, रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आज पहले पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथनिकता देने का निर्देश दिया गया है तीसरा प्रतिवादी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर जिला-जौनपुर 11 मार्च, 2026 तक, उक्त प्रस्ताव पर, तीसरा प्रतिवादी तीन महीने की अवधि के भीतर स्वीकार्यता आदि और प्रतिस्पर्धी दावों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. यदि तीसरे प्रतिवादी की राय है कि मामले का प्राधिकरण द्वारा निवारण किय जाना आवश्यक है, तो कागजात रिट को उचित सूचना देते हुए उक्त प्राधिकरण को प्रेषित किए जाएं।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

प्रशांत डी.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”